



2026:AHC:36226-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या-2454/2026

प्रेम सागर

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता: बलराम मिश्र

प्रतिवादी के अधिवक्ता: अरविंद कुमार श्रीवास्तव, भाजू राम प्रसाद शर्मा, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 45

माननीय राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति

माननीय अचल सचदेव, न्यायमूर्ति

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री अरविंद कुमार श्रीवास्तव, प्रतिवादी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. कुछ बहस के बाद, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय में यह कथन किया कि वे इस रिट याचिका को आगे नहीं बढ़ाना चाहते साथ ही इसे और अच्छे विवरणों के साथ नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता के साथ वापस लेना चाहते हैं।
3. राज्य के विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता को उपरोक्त प्रार्थना पर कोई आपत्ति नहीं है।
4. दिए गये कथन की दृष्टि में, इस रिट याचिका को उपरोक्त स्वतंत्रता के साथ वापस लिया गया मानकर **निरस्त** किया जाता है।
5. यदि कोई प्रासंगिक दस्तावेज है, तो उनकी प्रमाणित प्रति नियमों के अनुसार याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को वापस कर दी जाए।

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

18 फरवरी, 2026

नदीम

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”